

परिवहन निगम मुख्यालय  
लखनऊ ।

संख्या : 2414 सीएचक्यू/24-595 निगम/पीएफओ/23

दिनांक: 30 अगस्त, 2024

सेवा में,  
रजिस्ट्रार जनरल,  
मा0 उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

विषय :- ओल्ड पेन्शन स्कीम विषयक प्रार्थना पत्र/विकल्प पत्र पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर विधि परामर्शदाता के पद पर तैनात श्री अभय प्रकाश नारायण, (एच0जे0एस0) द्वारा ओल्ड पेन्शन स्कीम विषयक प्रार्थना पत्र एवं विकल्प पत्र दिनांक 27.08.2024 प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र एवं विकल्प पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त ।

(प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.08.2024 एवं विकल्प पत्र दिनांक 27.08.2024 मूल रूप में)

भवदीय,

( रामसिंह वर्मा )  
अपर प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-58वि0परा0कैम्प/24 दिनांक 27.08.2024 के संदर्भ में।

*RSingh*  
30/8/24  
( रामसिंह वर्मा )  
अपर प्रबन्ध निदेशक

परिवहन निगम मुख्यालय  
लखनऊ

पत्रांक :- 58वि0परा0कैम्प/2024

दिनांक: 27 अगस्त 2024

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उ0प्र0 परिवहन निगम,  
लखनऊ।

विषय: अधोहस्ताक्षरी का ओल्ड पेंशन स्कीम विषयक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अग्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति विज्ञप्ति संख्या- A-2/E-(2003)/1 dated 15-11-2003 के क्रम में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर हुई थी और अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.06.2006 को उ0प्र0 न्यायिक सेवा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण किया गया था। अधोहस्ताक्षरी U.P. Retirement Benefit Rules, 1961 के अन्तर्गत ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है।

अतः तद्विषयक प्रार्थना पत्र विकल्प पत्र सहित संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अधोहस्ताक्षरी का प्रार्थना पत्र/विकल्प पत्र अग्रेतर कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,  
Aravind  
27.08.2024  
(अभय प्रकाश नारायण)  
H.J.S.  
विधि परामर्शदाता

From,

Abhay Prakash Narain (H.J.S.)  
Legal Adviser (On Deputation)  
UP State Road Transport Corporation,  
Tehri Kothi, M.G. Marg, Lucknow.

To,

The Registrar General,  
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

Through: The Managing Director UPSRTC, Lucknow.

**Subject- Regarding giving the option of Old Pension Scheme in the compliance of letter No. 9691/iv-F-82(Pension)/Admin.(A) Section Dated: 16.07.2024 issued by the Hon'ble High Court Allahabad in the light of G.O.No. 14/2024/Sa-3-243/x-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. NO.-276/x-2024/301(1)/2024 dated 11-07-2024.**

Sir,

It is most respectfully submitted that in compliance with the letter No. 9691/iv-F-82(Pension)/Admin(A) Section Dated: 16.07.2024 issued by the Hon'ble High Court Allahabad and the Government Order issued by the Government of Uttar Pradesh No-20/2024/Sa-3-276/x-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 in the light of Government Order No- 14/2024/Sa-3-243/x-2024/301(1)/2024 dated: 28.06.2024 whereby the facility to opt Old Pension Scheme has been given to all such U.P. Government employees covered under National Pension System, who has been selected against such post/ vacancies, which were advertised before the State Government notification No. Sa-3-379/x-2005-301(9)-2003 dated 28-03-2005; pertaining to implementation of Defined Contribution Pension Scheme (National Pension System) in the State.

It is pertinent to mention here that the applicant was appointed as Civil Judge(Junior Division) in U.P. Nyayik Sewa on 26.05.2006 on the basis of the vacancy advertisement no. A-2/E-(2003)/1 dated 15-11-2003 and the date of joining in the aforesaid service was 14.06.2006. In continuation of the instructions given in the circular, the applicant is entitled to get full benefits of the Old Pension Scheme under the U.P. Retirement Benefit Rules, 1961. The duly filled option form is enclosed here- with.

Therefore, it is humbly requested to the goodself to kindly accept the option of the Old Pension Scheme under the U.P. Retirement Benefit Rules, 1961 of the applicant.

With regards,

yours Sincerely,

*Abhay Prakash Narain*  
27.08.2024

**( Abhay Prakash Narain (H.J.S.)**  
**Legal Adviser (On Deputation)**  
UP State Road Transport Corporation,  
Tehri Kothi, M.G. Marg, Lucknow.  
**ID No-UP 6444**  
Mob. No.-07617067777

## विकल्प पत्र

1- नाम	अभय प्रकाश नारायण
2- वर्तमान पद नाम	विधि परामर्शदाता, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम (UPSRTC) लखनऊ।
3- वेतनमान	1,44,840 / - 1,94,660 / - (Level 14)
4- वर्तमान विभाग का नाम	उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम (UPSRTC) लखनऊ।
5- राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	नियुक्ति अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन (लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 लखनऊ)
6- विज्ञप्ति की तिथि	15 नवम्बर, 2003
7- विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26.05.2006(उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ संख्या-2430 / दो-4-06-32(1) / 2001टी सी-1 14 जून 2006
8- योगदान की तिथि	
9- जन्मतिथि	01.08.1972
10- सेवानिवृत्ति की तिथि	31 जुलाई 2032

मैं अभय प्रकाश नारायण पुत्र श्री बी0पी0एन0 श्रीवास्तव, शासनादेश संख्या-14/2024/सा0-3-243/दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांकित 28 जून 2024 के अर्न्तगत पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर-

नाम- अभय प्रकाश नारायण

पद नाम- विधि परामर्शदाता, उ0प्र0

राज्य सडक परिवहन निगम (UPSRTC) लखनऊ।

ID NO-UP 6444

## घोषणा पत्र

मैं अभय प्रकाश नारायण, पदनाम विधि परामर्शदाता, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम /अपर जनपद न्यायाधीश लखनऊ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम- अभय प्रकाश नारायण

पद नाम- विधि परामर्शदाता, उ0प्र0

राज्य सडक परिवहन निगम (UPSRTC) लखनऊ।

ID NO-UP 6444

## सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री अभय प्रकाश नारायण, पदनाम विधि परामर्शदाता, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम /अपर जनपद न्यायाधीश लखनऊ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना(✓)में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालय/विभागाध्यक्ष की संस्तुति